सत्र वाद संख्या 560/2001
औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड संख्या 245/2001

दिनांक 23.04.2025
/03.06.2025

कार्यालय द्वारा आज अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय को आगाह किया जाता है कि सावधानी एवं सतर्कता पूर्वक कार्य करें एवं अभिलेख समय पर प्रस्तुत करे। अभियुक्त सुनील कुमार सिंह की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे आज के लिए स्वीकृत किया जाता है तथा अगली तिथि से सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त अजीत सिंह भी सदेह रहेंगे नहीं तो बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा। अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह कके विरूद्ध तामिला प्रतिवेदन जानबूझकर पुलिस द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया स्पष्ट होती है। **कार्यालय इस संबंध में पुलिस अधीक्षक वैशाली एवं डी0जी0पी0 पटना को तत्काल इस आदेश की प्रति प्रेषित करें** ताकि थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र के विरूद्ध अगली तिथि को तामिला (धारा 82 एवं 83 द0प्र0सं0) की प्राप्ति नहीं होने पर दंडात्मक कार्यवाही की अनुसंशा किया जा सके। यह वाद धारा 302 भा0द0वि0 से संबंधित है किंतु फिर भी पुलिस बल की उदासीनता के कारण अग्रतर कार्यवाही उपस्थिति हेतु लंबित है जबकि अभियुक्त वर्ष 2007 ई0 से ही अनुपस्थित है एवं उसके विरूद्ध धारा 82 एवं 83 द0प्र0सं0 का अधिपत्र निर्गत है। यह वाद वर्ष 2001 ई0 से लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा चिन्हित पुराने वादों की श्रेणी में आता है।

वाद दिनांक 20.06.2025 को तामिला प्रतिवेदन प्राप्ति, अभियुक्तों की सदेह उपस्थिति एवं तामिला नहीं प्राप्त होने पर दंडात्मक कार्यवाही थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र पर करने के लिए नियत किया जाता है। **कार्यालय इसकी प्रति थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रेषित करें।**

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय